

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे व
कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।
संबोधित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे संविधा हो।



ग्राम : यूनीवरिटी
दूरभाष : (0751) 2341896
(0751) 2442829
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :

कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक/एफ/महा.वि.प./2011/ 3463

दिनांक: 30/02/11....

// अधिसूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर दो सम्बद्ध अशासकीय महाविद्यालयों की शासी निकाय की समितियों में परिनियम 28(भाग-3) की धारा 6(1)(सी) के अन्तर्गत कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 19 मई, 2011 के पद क्रमांक (30) के (अ-अ-12) पर लिये गये निर्णयानुसार शासी निकाय में विश्वविद्यालय प्रतिनिधि मनोनीत किये जाते हैं :-

महाविद्यालय का नाम : आर्यन कॉलेज ऑफ एज्यूकेशन, सी.पी. कॉलोनी, मुरार, ग्वालियर

मनोनीत सदस्य : 1. डॉ. बूतन कुलश्रेष्ठ, शासकीय महाविद्यालय, गुना

2. डॉ. इन्दू श्रीवास्तव, शासकीय महाविद्यालय मेहगांव, जिला - भिष्णु

उपरोक्त सदस्यता दो वर्ष तक प्रभावशील रहेगी।

अधिष्ठाता
महाविद्यालयीन विकास परिषद

प्रतिलिपि:-

- सम्बन्धित प्रतिनिधियों की ओर सूचनार्थ।
- प्राचार्य, आर्यन कॉलेज ऑफ एज्यूकेशन, सी.पी. कॉलोनी, मुरार, ग्वालियर की ओर भेजकर तत्काल प्रभाव से शासी निकाय में मनोनीत सदस्यों को सूचित करते हुये पत्र प्राप्त होने के एक माह की अवधि में प्रथम शासी निकाय की बैठक बुलाई जावे। इस तरह कम से कम एक वर्ष में तीन बार शासी निकाय की बैठक होना अनिवार्य है तथा बैठक होने के तुरन्त बाद पूर्ण विवरण एक सप्ताह के अन्दर इस कार्यालय को प्रेषित करें तथा साथ में आपको यह भी सूचित किया जाता है कि मनोनीत सदस्यों को कॉलेज कोड 28 शिक्षण संस्थान अधिनियम 1978 तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मार्गदर्शिका प्रथम बैठक के पूर्व में प्रदान करें। शासी निकाय की बैठक में उपस्थित होने वाले सदस्यों का टी.ए./डी.ए. महाविद्यालय द्वारा देय होगा।

अधिष्ठाता
महाविद्यालयीन विकास परिषद

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समर्पण पत्र व्यवहार कुलसंचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जाए जा सकता है। इसके अन्तर्गत विषय पर यदि पूर्ण में पत्र व्यवहार कुलसंचिव तो उसे पत्र क्रमांक द्वारा दिक्षित जाने विलम्ब से किया जायेगा।



ग्राम : जूनीरीटिटी
 दूरभाष : 0091-(0751) 2442801
 (फ़ाक्स)

2442462 (फ़ोन)

फैक्टरी : (0091-0751-2341768)

E-mail : jureg_gwl@rediffmail.com

Website : <http://www.jiwaji.edu/>

प्रेषक :
 कुलसंचिव,
 जीवाजी विश्वविद्यालय
 ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2012/4820

दिनांक : २२.५.१२

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 22 मार्च 2012 के पद क्रमांक (13) के विरायानुसार आर्यन कॉलेज ऑफ एज्यूकेशन, ग्राम - घनेली, सेंट जोसेफ के सामने, मुरार, ग्वालियर को सत्र 2010-11 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम के लिये अर्थाई सम्बद्धता निम्न शर्तों के लाभ प्रदान की जाती है।

शर्तें/प्रतिबंध :-

1. प्राचार्य एवं शिक्षकों की नियुक्ति 28(17) के अन्तर्गत कर ले अन्यथा 2011-12 में छात्रों को प्रवेश न दें।
2. पुस्तकालय में रु. 50,000/- की पुस्तकें क्रय की जावे।
3. खेल के बैदान एवं खेल सामग्री खरीदी जावे।

आदेशानुसार

कुलसंचिव

प्राप्ति,

1. प्राचार्य, आर्यन कॉलेज ऑफ एज्यूकेशन, ग्राम-घनेली, सेंट जोसेफ के सामने, मुरार, ग्वालियर
2. सचिव, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल
3. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
4. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-वंबल संभाग, मोती बहल परिसर, ग्वालियर।
5. उप-कुलसंचिव (परीक्षा/बोर्डीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
6. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थी द्वारा आदेशक कार्यवाही हेतु।

उपकुलसंचिव (सम्बद्धता)